रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59] दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 2012/चैत्र 10, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 334
No. 59] DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 2012/CHAITRA 10, 1934 [N.C.T.D. No. 334

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

[कार्यालय उपायुक्त पुलिस यातायात (मुख्यालय)]

आदेश

दिल्ली, 30 मार्च, 2012

सं. फा. 20/4/2003 होम/(पुलिस-II)/1737.—क्योंकि टैक्सियों को खड़ा करने व ले जाने के लिए सैक्टर सी, पॉकेट-9, लोकल शॉपिंग सैन्टर, वसन्त कुंज, नई दिल्ली की अधिसूचना को फुटपाथ पर होने के कारण व ट्रैफिक में बाधा डालने के कारण आम जनता के हित में इस कार्यालय के आदेश सं. 24352-542/प्रशा. शाखा (ट्रैफिक) डी.-III, दिनांक 17-11-2004 द्वारा निरस्त किया गया था।

और क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेश दिनांक 13-10-2011 द्वारा रिट संख्या (सिविल) 10597-98/2005-जयपुर टैक्सी स्टैण्ड सर्विस एण्ड अदर्स बनाम आयुक्त, दिल्ली पुलिस के अनुसार उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैण्ड की अधिसूचना को निरस्त करने के आदेश को रोका गया था। और क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह भी आदेश दिये कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या एफ. 12 (01)2010/एम.पी./2006, दिनांक 18-7-2011 के अनुसार दर्शाये गए स्थान योजना के नियम व कानून के अनुसार 05 (पांच) टैक्सियों के "हाल्ट एण्ड गो" साइट के लिए अधिसूचित किया जाए। और क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18-7-2011 जो कि उपरोक्त रिट याचिका (सिविल) जिसमें कि सरकारी काउंसिल ने सूचित किया कि याचिकाकर्त्ता की याचिका को ध्यान में रखते हुए, इस पर एक अल्टर्नेटिव साइट आबंटित करने के लिए अधिसूचना जारी की जाए।

और क्योंकि स्थानीय यातायात पुलिस पहले से ही सूचित कर चुकी है कि प्रस्तावित अल्टर्नेटिव साइट जो कि स्थानीय शॉपिंग सैन्टर के आखिरी में जो कि सैक्टर-9, वसन्त कुंज, नई दिल्ली पर स्थित है को आम यातायात को ध्यान में रखते हुए जी.टी.एस. "हाल्ट एण्ड गो" को आम जनता के हित में अधिसूचित किया जाए।

इसलिए अब मैं, शरत कुमार सिन्हा, उपायुक्त पुलिस (यातायात) मुख्यालय, दिल्ली, कंट्रोल ऑफ व्हीक्युलर एण्ड अदर ट्रैफिक ऑन रोड एण्ड स्ट्रीट रेग्युलेशन 1980 की धारा का उपयोग करते हुए उपरोक्त स्थान पर जी.टी.एस. (पॉच टैक्सियों) के लिए सामान्य जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करता हूँ। साइट प्लान की कापी संलग्न है।

और क्योंकि उपरोक्त सामान्य टैक्सी स्टैण्ड "हाल्ट एण्ड गो" प्लेस फॉर टैक्सिस किसी भी व्यक्ति विशेष या प्राधिकार को मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा जिसको पूर्ण अस्थायी रूप से पुनः अधिसूचित किया जाता है। और जो कि अधिसूचित अधिकारी को, आम जनता के हित में यातायात के संचालन हेतु, सुरक्षा, शिकायत, दुर्व्यवहार, मना करने, ज्यादा पैसे वसूलने या भूमि अधिग्रहण एजैन्सी के शिकायत करने पर, उपरोक्त अधिसूचना को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित

होगा । सी.पी.डब्ल्यू.डी./एम.सी.डी./डी.डी.ए. तथा एल. एण्ड डी.ओ. आदि-आदि को उपरोक्त अधिसूचित जी.टी.एस. पर किसी व्यक्ति विशेष को तहबाजारी देने का अधिकार नहीं होगा । और जो कि उपरोक्त जी.टी.एस. पर किसी भी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण, बिजली, पानी या टैलिफोन कनैक्शन लेने का अधिकार नहीं होगा । और किसी भी विशेष व्यक्तिगत उपयोग के लिए अधिकार नहीं होगा सिर्फ उसी चालक को जी.टी.एस. पर रुकने का अधिकार होगा जिसकी टैक्सी वहाँ अपने नम्बर पर उपस्थित होगी ।

ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

ये आदेश आम जनता के हित में सरकारी गजट में छापे जाएंगे। और इसकी प्रति नोटिस बोर्ड पर डी.सी.पी. (ट्रैफिक) और सभी उपायुक्त पुलिस/पुलिस स्टेशन्स, दिल्ली, नई दिल्ली के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी ।

मेरे हाथों द्वारा 30-03-2012 को जारी किया गया ।

शरत कुमार सिन्हा, उपायुक्त पुलिस यातायात (मुख्यालय)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

[Office of the Dy. Commissioner of Police Traffic : (HQ)]

ORDER

Delhi, the 30th March, 2012

F. No. 20/4/2003/HP-II/1737.—Whereas a General Taxi Stand notified for "halting and parking of taxis" at Sector-C, Pocket-9, Local Shopping Centre, Vasant Kunj, New Delhi was de-notified *vide* 24352-542/Admn. Branch/T (DA-III) dated 17-11-2004, in public interest as the subject GTS was on footpath creating obstruction to the smooth flow of traffic.

And whereas the Hon'ble High Court of Delhi *vide* order dated 13-10-2011 had dismissed a Writ Petition (Civil) No. 10597-98/2005 Jaipur Taxi Service and Anr. Vs. C.P. Delhi, upholding the aforesaid de-notification order. The Hon'ble Court had further directed to issue the necessary notification as 'Halt & Go' site for five taxis at the site shown in plan, so furnished by DDA *vide* letter No. F. 12(01)2010/MP/206 dated 18-7-2011 in accordance with law and policy and keeping in view of Court's direction dated 29-01-2010 passed in the said writ petition (c) wherein Government Counsel had intimated the Hon'ble Court that representation of the petitioner shall be considered for the allotment of an alternative site.

And whereas area traffic police had already intimated that the proposed alternate site "at the end of Local Shopping Centre, Sector-9, Vasant Kunj, New Delhi" is feasible from traffic point of view, therefore, a Halt & Go place for taxi is required to be re-notified, immediately.

Now, therefore, I, Sharat Kumar Sinha, Dy. Commissioner of Police/Traffic (HQ) Delhi in exercise of powers conferred upon me u/s 3 of the Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Road and Street Regulation, 1980 do hereby notify a "Halt & Go Place" for taxis (for 05 DLTs) at the proposed site "at C-9, Local Shopping Centre, Vasant Kunj, New Delhi" for the convenience of public (copy of site plan enclosed).

And whereas the aforesaid "Halt and Go place for taxis" would not be owned by any individual or authority and is notified on temporary basis. The notifying authority reserves the right to cancel the aforesaid notification subsequently in public interest for reason of traffic regulation, requirement of security, local complaints, refusal, misbehaviour, overcharging, or any subsequent objection raised by the land owning agency. CPWD/MCD/NDMC/DDA/L&DO etc. shall not confer any tehbazari rights for the site to any individual. No pucca/semi pucca structure, water, electricity, and telephone connection shall be allowed on the aforesaid site of 'Halt & Go Place' for taxis. And whereas neither the petitioner nor any other individual taxi driver would have any right to the exclusive use of the taxi stand. Only the driver of a parked taxi has a right to wait in the said parking bay awaiting the fare as aforesaid.

This order shall come into force with immediate effect.

This order shall be published for information of the general public in the official gazette and by affixing a copy on the notice board of the office of DCsP/Traffic and District DCsP and Police Stations in Delhi/New Delhi.

Given under my hand and seal of office on the 30 day of March, 2012.

SHARAT KUMAR SINHA, Dy. Commissioner of Police Traffic (HQ)

राज्य निर्वाचन आयोग

आदेश

दिल्ली, 30 मार्च, 2012

सं. रा.चु.आ./विधि/डी.एल./एफ. 118/12/4841.— दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, की धारा 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त, दिनांक 06-03-2012 को जारी चुनाव चिन्ह् आदेश को आगे संशोधित करते हैं :—

उपरोक्त संदर्भित चुनाव चिन्ह् आदेश के पैरा 4(ग)(iv), जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा इसी सम-संख्या दिनांक 13 मार्च, 2012 द्वारा संशोधित किया गया था, उसमें पुन: निम्न संशोधित करते हैं :—

आयोग के चुनाव चिन्ह् आदेश के क्लाज 6 (क) के प्रावधान के अनुरूप उपरोक्त आदेश के पैरा 4(ग)(iv) को पुन: स्पष्ट किया जाता है :—

"ऐसे मामलों का निपटारा आयोग स्वंय करेगा" इन शब्दों के आगे तथा "ऐसी सूचना की प्राप्ती" शब्दों से पहले, निम्न को जोड़ा जायेगा :—

"चुनाव चिन्ह् आदेश जो 13-03-2012 के आदेश द्वारा उपरोक्त संदर्भित के अनुसार संशोधित किया गया था, में निहित प्रणाली को अंगीकार करते हुए, राज्य चुनाव आयुक्त ऐसे दोनों राजनैतिक राज्य दलों को जिन्होंने एक ही चुनाव चिन्ह्, जो उन्हें अपने-अपने राज्यों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त किया गया है, का चयन किया है, को रजामंद करेंगे दोनों पक्षों का एक मान्य हल निकालने का प्रयत्न करेंगे ताकि चुनाव आयुक्त वह चुनाव चिन्ह् केवल एक ही दल को प्रदान करने के लिए एक निष्कर्ष पर पहुँच जायें तथा यदि सर्वमान्य हल सम्भव न हो सके तो लाटरी द्वारा प्रक्रिया अंगीकार की जाएगी ।"

राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त

STATE ELECTION COMMISSION

ORDER

Delhi, the 30th March, 2012

No. SEC/LAW/DL/F. 118/12/4841.—The State Election Commissioner of National Capital Territory of Delhi, in accordance with the powers conferred upon him under Section 7 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended by the DMC (Amendment) Act, 2011, hereby makes the following further amendment in the SYMBOL ORDER issued under even number dated 6-3-2012 :—

In Para 4(c)(iv) of the symbol order, referred to above, and as amended by State Election Commissioner of National Capital Territory of Delhi's order of even number dated the 13th March, 2012 further amendment is made as under :—

As per provision in clause 6(a) of the Commissioner's Symbol Order, it has become necessary to further clarify the provisions of para 4(c)(iv), of the said order :—

After the words "such matters will be settled by the Commission itself," and before the words "on receipt of such information" the following shall be inserted :—

"Before adopting the procedure laid down in the Symbol Order as amended by order dated 13-3-2012 referred to above, the State Election Commissioner will persuade both the State Political Parties opting for a common symbol allotted to these parties in their respective State/States by the Election Commission of India, to amicably find a solution to enable the Election Commissioner to arrive at a conclusion in allotting that common symbol to one party only and if the amicable settlement is not possible, the procedure for draw of lot shall be adopted."

RAKESH MEHTA, State Election Commissioner

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.